न्यायालय सिविल जज (जू0 डि0), राम सनेहीघाट, कोर्ट नं0-14, बाराबंकी।

मूलवाद संख्या- /2024

CNR No. UPBB180000202024

रामेश्वरी देवी आदि बनाम दुर्गाशंकर आदि

24.01.2024

1. प्रार्थना-पत्र ग-6 वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र ग-7 पर वादिनी के विद्वान अधिवक्ता को एकपक्षीय रूप से सुना गया।

2. वादिनी ने प्रार्थना पत्र में यह प्रार्थना किया है कि दौरान मुकदमा जरिये स्थाई निषेधाज्ञा विपक्षीगण रोक दिया जावे कि विपक्षीगण या उनके अधीनस्थ कर्मचारी/अधिकारी भूमि गाटा संख्या 231 रकबा 0.124 हे० व 232 रकबा 0.145 हे० स्थित ग्राम सरैंया चमरान परगना दरियाबाद तहसील रामसनेहीघाट जिला बाराबंकी पर लगे पेड़ों/बाग को न काटें और न ही नवैय्यत बदलें।

3. वादिनी ने अपने कथन के समर्थन में रजिस्टर्ड नोटिस की छायाप्रति दाखिल की है। वाद के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों तथा दाखिल दस्तावेज के अवलोकन से इस स्तर पर बिना प्रतिवादीगण को सुने एक पक्षीय निषेधाज्ञा जारी करने का आधार पर्याप्त नहीं है।

4. अतः प्रतिवादीगण को नोटिस जारी हो। वादिनी वांछित पैरवी अविलम्ब करें। पत्रावली वास्ते आपत्ति/निस्तारण प्रार्थना पत्र ग-6 दिनांक 24.02.2024 को पेश हो।

(सोनम शर्मा)
सिविल जज (जू०डि०),
रामसनेहीघाट, कोर्ट नं0-14, बाराबंकी।

24.01.2024

प्रार्थना-पत्र ग-9 वास्ते जारी करने कमीशन जरिए अमीन पर सुना। न्यायहित में स्वीकृत। वादी पैरवी करे। बाद पैरवी अमीन को रिट जारी हो। अमीन पक्षकारों को सूचित कर मौके का निरीक्षण करे और अपनी आख्या मय नक्शा नियत तिथि तक न्यायालय में दाखिल करें।

(सोनम शर्मा)
सिविल जज (जू०डि०),
रामसनेहीघाट, कोर्ट नं0-14, बाराबंकी।